

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

## प्रभार आदेश

क्रमांक : ३५ (एक-दो-०१)०७

सागर दिनांक १०.०४.२०२४

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 एवं 10 तथा म०प्र० सिविल कोर्ट एकट 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए इस संबंध में पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को अधिष्ठित (सुपरसेशन) करते हुए सागर में पदस्थ समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर, बण्डा, बीना, देवरी, खुरई, रहली, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर, बण्डा, शाहगढ़, बीना, देवरी, केसली, खुरई, मालथौन, गढ़कोटा एवं रहली की अनुपस्थिति में या किसी भी प्रकार के अवकाश काल में अथवा न्यायालय के रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यभार की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा:-

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
१.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर	<p>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर के अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र सोमवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर, मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिकारी सागर बुधवार को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, गुरुवार को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सागर एवं शनिवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगी और उन्हीं के न्यायालय में अंतरित की गई, समझी जावेंगी और उन्हीं के द्वारा अंतिम रूप से निराकृत की जावेंगी तथा उपरोक्त में से किसी न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश (सोमवार से शनिवार तक) के न्यायालय में प्रस्तुत होंगी।</p> <p>जमानतों के अतिरिक्त शेष कार्य हेतु:-</p> <p>प्रथम प्रभार - विशेष न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा. अधिनियम), सागर।</p> <p>द्वितीय प्रभार - प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।</p> <p>तृतीय प्रभार - विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश।</p>
२.	विशेष न्यायाधीश सत्र खंड सागर (अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सागर	<p>माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के मेमो क्रमांक C/2264/III-6-3/90 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के अनुक्रम में SC/ST ACT के अधीन जमानतों जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में संपूर्ण सागर जिले में उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा और किसी भी अपर सत्र न्यायाधीश के उपलब्ध न होने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनी जावेंगी।</p> <p>जमानतों के अतिरिक्त शेष कार्य हेतु:-</p> <p>प्रथम प्रभार - विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. क्रमांक १०) सागर</p> <p>द्वितीय प्रभार - प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।</p>

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
		तृतीय प्रभार—नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदकम के पश्चात् के कमानुसार पदकम के उपस्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश।
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर के विशेष न्यायाधीश (प्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988)	पी०सी० एकट के मामलों में जमानत आवेदन पत्र की सुनवायी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा की जावेगी। जमानतों के अतिरिक्त शेष कार्य हेतु:- प्रथम प्रभार—तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। द्वितीय प्रभार—षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तृतीय प्रभार—पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदकम के उत्तरवर्ती कमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।
4.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर (पॉक्सो एक्ट)	प्रथम प्रभार—नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। द्वितीय प्रभार—सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तृतीय प्रभार—चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदकम के उत्तरवर्ती कमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।
5.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं चतुर्थ अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। द्वितीय प्रभार—सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तृतीय प्रभार—अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदकम के उत्तरवर्ती कमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।
6.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं पंचम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। द्वितीय प्रभार—विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. कमांक 10) सागर तृतीय प्रभार—सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदकम के उत्तरवर्ती कमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।
7.	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं षष्ठम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। द्वितीय प्रभार—प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्या. के तृतीय अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर। तृतीय प्रभार—पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदकम के उत्तरवर्ती कमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।
8.	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सप्तम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। द्वितीय प्रभार—विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. कमांक 10) सागर तृतीय प्रभार—तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदकम के उत्तरवर्ती कमांक के जिला

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
		एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
9.	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अष्टम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधि. सागर (एन.डी.पी.एस. एक्ट)	माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के मेमो क्रमांक C/2262/III-6-2/89 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के अनुक्रम में NARCOTIC DRUGS & PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985 के अधीन प्रस्तुत होने वाली जमानतें जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा और किसी भी अपर सत्र न्यायाधीश के उपलब्ध न होने की दशा में संपूर्ण जिला सागर में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनी जावेंगी । जमानतों के अतिरिक्त शेष कार्य हेतु:- प्रथम प्रभार- विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. क्रमांक 10) सागर <sup>द्वितीय प्रभार-</sup> प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्या. के तृतीय अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर <sup>तृतीय प्रभार-</sup> चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्याया., सागर। <sup>तत्पश्चात्</sup> अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
10.	नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं नवम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर (पॉक्सो एक्ट)	प्रथम प्रभार-तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर <sup>द्वितीय प्रभार-</sup> चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्याया., सागर। <sup>तृतीय प्रभार-</sup> सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्याया., सागर। <sup>तत्पश्चात्</sup> अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
11.	विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. क्र 10) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	केवल विद्युत अधिनियम, से संबंधित जमानत आवेदन पत्र की सुनवायी विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट सागर शेष कार्य हेतु:- प्रथम प्रभार-अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर <sup>द्वितीय प्रभार-</sup> चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। <sup>तृतीय प्रभार-</sup> षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। <sup>तत्पश्चात्</sup> अंतिम प्रभारी के पदक्रम के पश्चात् के क्रमानुसार पदक्रम के उपस्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ।
12.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्या. के तृतीय अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, एवं अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार-सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर <sup>द्वितीय प्रभार-</sup> पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर <sup>तृतीय प्रभार-</sup> अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्याया., सागर। <sup>तत्पश्चात्</sup> अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
13.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अति० सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधि०, बण्डा	प्रथम प्रभार- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा के न्यायालय के अति० जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा <sup>द्वितीय प्रभार-</sup> चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्याया., सागर। <sup>तृतीय प्रभार-</sup> विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. क्रमांक 10) सागर <sup>तत्पश्चात्</sup> अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं














क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
55.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा	प्रथम प्रभार— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा तत्पश्चात् तहसील मुख्यालय रहली में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश रहली।
56.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा	प्रथम प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा तत्पश्चात् तहसील मुख्यालय रहली में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश रहली।
57.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली	प्रथम प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रहली तत्पश्चात् तहसील मुख्यालय देवरी में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश देवरी
58.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रहली	प्रथम प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रहली तत्पश्चात् तहसील मुख्यालय देवरी में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश देवरी

#### टीप:-

1. किसी भी वर्ग के प्रभारी न्यायालय का पद कम समाप्त होने पर आगे का प्रभार अंतिम पद कम के उत्तरवर्ती कमांक के न्यायालय से प्रारंभ माना जावेगा।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक का न्यायाधीशों के वरिष्ठता कम पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
3. ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायाधीशगण के आवश्यक प्रभार के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अवकाश के पूर्व विशेष आदेश पारित न किये जाने की दशा में सामान्य प्रभार ही यथावत् लागू होगा।
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के दौरान प्रस्तुत होने वाले द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती तथा सहअभियुक्त के नियमित एवं अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय, जिसने पूर्ववर्ती जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया था, के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के न्यायालय में अंतरित किये गये समझे जायेंगे और उन्हीं के द्वारा सुने जाकर अंतिम रूप से निराकृत किये जायेंगे।
5. म0प्र0सिविल कोर्ट एकट की धारा 21(4) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, सागर जिले में पदस्थ सिविल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी में से किसी के ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन अवकाश अथवा लंबी अवधि तक अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल प्रकरण/अंतर्वर्ती आवेदन उनके प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाकर निराकृत किये जायेंगे।

  
 (महेश कुमार शर्मा) 10/64-2024  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 सागर (म.प्र.)

1486

पृष्ठाकंन क्रमांक (एक-दो-01)07  
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
2. समस्त न्यायालय, जिला स्थापना सागर।
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर / बण्डा / बीना / देवरी / केसली / खुरई / मालथौन / शाहगढ़ / रहली / गढ़कोटा।
4. केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
5. निष्पादन लिपिक / प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, सागर की ओर संबंधितों की ओर ईमेल करने एवं ई-कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

सागर दिनांक: 10/04/2024

30/04/2024  
(महेश कुमार शर्मा)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)

